20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

समक्ष मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. / /2018 निगरानी — 3026/2018/रायसेन/भू. रा.

श्री प्रकाश चंद जैन आदि द्वारा आज दि. 16-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 16.5.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1 प्रकाश चंद्र जैन

2 विमल कुमार जैन

3 सुधीश चंद्र जैन पुत्रगण स्व0 मथुराप्रसाद जैन

4 संतोष जैन

5 सुशील जैन

6 सुनील जैन पुत्रगण महेन्द्र कुमार जैन

7 श्रीमति अंजना जैन पत्नी स्व0 महेन्द्र कुमार जैन निवासीगण वार्ड क0 6 गांधी बाजार बेगमगंज जिला रायसेन

द्वारा मुख्त्याआम / व्यवस्थापक सौरभ जैन पुत्र श्री सुधीश चद्र जैन आयु–34 वर्ष व्यवसाय– कृषि, निवासी– कस्बा बेगमगज जिला रायसेन

..निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रायसेन

.... रेस्पोंडेट

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
....
दिनांक.....................
हस्ताक्षर व नाम.....................

आयुक्त ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

विनीता सक्सेना
आर. कमिश्नर

ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश प्र0 क्र0 1021/बी–121/2017–18 दिनांक 11/05/2018 द्वारा पारित तहसीलदार बेगमगंज जिला रायसेन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3026/2018/रायसेन/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-6-2018	आवेदकगण की ओर से श्री सगुन चंद जैन, अभिभाषक एवं प्रत्यर्थी शासन की ओर से श्री प्रखर ढेंगुला, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी तहसीलदार बेगमगंज के आदेश दिनांक 11-5-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा अन्तिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जो कि अपील योग्य आदेश है । अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापिस किया जाता है । अध्यक्ष	